न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

गंगापुर सिटी,जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
30/2020	अपील	08.12.2020	13.07.22

1. तेजराम पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी ककराला, तहसील बामनवास। तामील
2. राजाराम पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी ककराला, तहसील बामनवास।
3. मुकेश पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी ककराला, तहसील बामनवास।

–अपीलार्थीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बामनवास।

–रेस्पोन्डेण्ट–

निर्णय दिनांक: 13.07.22

1. यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा नायब तहसीलदार, बामनवास उनवानी मुकदमा सरकार बनाम तेजराम वगै0, मुकदमा नं0 75/2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. अपील मीमो के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के विरूद्ध हल्का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय में अतिक्रमण बावत् एक गलत रिपोर्ट संस्थित कर दी। जिसमें प्रार्थी तेजराम अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। तब कार्यालय नायब तहसीलदार के कर्मचारियों ने प्रार्थी तेजराम से कहा कि अभी कोरोना महामारी फैली हुई है आप एक खाली कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दो। आपके प्रकरण आगे सुनवाई कोरोना महामारी खत्म होने के बाद ही होगी। प्रार्थी तेजराम निश्चिन्त होकर अपने घर आ गया। दिनांक 29.11.2020 को जब प्रार्थीगण अपनी रिश्तेदारी में बाहर गांव गये हुये थे तो हल्का पटवारी प्रार्थीगण के घर आया और उसने बताया कि आपका मकान ध्वस्त कर दिया जावेगा एवं तुम्हे बेदखल कर दिया जावें। क्योंकि हमारे पास नायब तहसीलदार साहब बामनवास की अदालत का अदेश है। प्रार्थीगण जब दिनांक 30.11.2020 को अपने घर आये तो उन्हें घर वालो ने सारी बात बतायी। इस पर प्रार्थीगण अगले दिन दिनांक 01.12.2020 को नायब तहसीलदार साहब बामनवास के कार्यालय में गये और प्रकरण के बारे में मालूमात किया तो प्रार्थीगण को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

बहुत आश्चर्य हुआ। तथा उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर प्रार्थीगण को दिनांक 02.12.2020 को प्रकरण की नकल प्राप्त हुई। जिसे पढ़ने पर पता चला कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.10.2020 को बेदखल व पेनल्टी का निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपील पेश की जा रही है।

3. अपीलार्थीगण ने अपील में आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

4. अपीलार्थीगण ने अपील में आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो नोटिस जारी किया है वह संयुक्त रूप से एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस की तामील किसी भी व्यक्ति पर नहीं हुई है। इसलिए सूचना न होने के उपरान्त भी यह आक्षेपित आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय में भारी सूचना कानूनी भूल की है। जो निरस्तनीय है।

5. अपीलार्थीगण ने अपील में आगे कथन किया है कि किसी भी प्रकरण को सिद्ध करने के लिए शिकायतकर्ता के न्यायालय में बयान देना आवश्यक है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने शिकायतकर्ता हल्का पटवारी के बयान नहीं लिये है और न ही गिरदावर के बयान लिये है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण के मकान व बाडे बुर्जुगों के समय से ही बने हुये है।

6. अपीलार्थीगण ने अपील में आगे कथन किया है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है हल्का पटवारी की रिपोर्ट मे खरीफ की फसल 2077 में काश्त कर अतिक्रमण होना बताया है तथा रिपोर्ट में आगे 0.75 हेक्टर भूमि में बाड लगाकर अतिक्रमण होना बताया है। इस प्रकार हल्का पटवारी निर्णय पारित करने से भारी कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है।

7. यह प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सम्पूर्ण जानकारी दिनांक 02.12.2020 को पत्रावली की नकल प्राप्त करने से हुई। फिर भी कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र डिले कन्डोन करने के लिए अलग से पेश किया जा रहा है। यहां यह लिखना भी समीचीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना–19 महामारी के संकट को देखते हुये दिनांक 23.03.2020 को अवधि हेतु दिशा निर्देश भी जारी किये है जिससे निर्णय की अपील अवधि मध्य शुमार की जाती है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोन्डेण्ट जरिए नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलब की गई। रेस्पोन्डेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

9. बहस वकील अपीलार्थीगण सुनी गई। वकील अपीलार्थीगण ने एकपक्षीय बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलग–अलग नोटिस जारी नही करके संयुक्त रूप से एक ही नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामील अपीलार्थीगण को कभी नही हुयी है। नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिंदा ने यह नोट अंकित किया है कि तेजराम घर पर नही मिला, घर पर तेजराम के भाई ने एक प्रति प्राप्त की। नोटिस की सम्यक तामील नही हुई है।

10. हमने अपील तथा मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। वकील अपीलार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।

11. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण को अलग–अलग नोटिस जारी किया जाकर उनको सम्यक तामील की जानी चाहिए थी जो नही की गई है। जिस दिन निर्णय पारित किया गया है उस दिन तीन अपीलार्थीगण में से केवल तेजराम ही उपस्थित हुआ है तथा निर्णय दिनांक 14.10.2020 में एक ही अतिक्रमी को बेदखल किया जाना जाहिर होता है। किसी भी व्यक्ति को सिविल कारावास के दंड से दंण्डित करते समय अधीनस्थ न्यायालय को समुचित तत्परता बरतनी चाहिए। प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (Remand) करना उचित समझते है।

आदेश

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.10.2020 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलार्थीगण को अलग–अलग नोटिस जारी कर उसकी समुचित तामील करवाने के बाद पुनः विधिसंगत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम होवें तथा निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 13.07.22 को सरे इजलास सुनाया गया

(न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला–सवाई माधोपुर — सत्यमेव जयते)

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी(स0मा0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)